



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 681] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941  
No. 681] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

---

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

**सा.का.नि. 864(अ).**— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

- i. तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड (राज्य सरकार का उपक्रम);
  - ii. तमिलनाडु मैंगनेसाइट लिमिटेड (राज्य सरकार का उपक्रम);
  - iii. तमिलनाडु सीमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (राज्य सरकार का उपक्रम); और
  - iv. एन0 एल0 सी0 इंडिया लिमिटेड (कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार का उपक्रम)
2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन होगी कि पूर्वोक्त प्रचालन कार्यो द्वारा सृजित डाटा को संबंधित राज्य सरकार को सौंपा जायेगा।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 16/30/2017-एम.VI]

अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2019

**G.S.R. 864(E).**— In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the following entities for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, namely: -

- (i) Tamil Nadu Minerals Limited (State Government Undertaking);
  - (ii) Tamil Nadu Magnesite Limited (State Government Undertaking);
  - (iii) Tamil Nadu Cements Corporation Limited (State Government Undertaking); and
  - (iv) NLC India Limited (Central Government Undertaking under the administrative control of the Ministry of Coal)
2. This notification shall be subject to the condition that the data generated by the prospecting operations be made over to the concerned State Government.
  3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/30/2017-M.VI]  
ANIL KUMAR NAYAK, Jt. Secy.